

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

40 / 2021
1-7-2021

- 1-विष्णु कुमार पुत्र स्व० श्री सत्यनारायण मीना निवासी ग्राम भगवानपुरा मालेड़ा तहसील देवली जिला-टोंक
- 2-श्रीमति सोहनी पत्नि स्व० श्री सत्यनारायण मीना निवासी ग्राम भगवानपुरा मालेड़ा तहसील देवली जिला-टोंक

—अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए प्रवर्तन निरीक्षक जिला-टोंक राज०

—रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी टोंक दिनांक 17-2-2021 प्रकरण सं० 23/20

- उपस्थिति:-1.श्री बाबूलाल गुन्सारिया अभिभाषक -अपीलान्ट की ओर से
2.श्री रामभजन मीणा पेटाकार सरकार -रेस्पाडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 20-10-2021

अपील अपीलान्ट सांराश में इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक देवली की जॉच रिपोर्ट पर जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 17-2-2021 के द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य की दूकान रामथला में अनियमितताएं पाये जाने के कारण अपीलान्ट की दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त करने तथा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/रूपये जप्त सरकार करने का आदेश पारित किया है। इस आदेश से अपीलान्ट अप्रसन्न होकर उसके द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेटाकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन)आदेश 1976 के तहत ग्राम रामथला तह० देवली के लिए उचित मूल्य दुकानदार है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं० 1059 व पोस मशीन कोड 12991 है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, ऐसी स्थिति में उसके वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर सुना जाना आवश्यक था फिर भी उनके द्वारा ऐसा नहीं कर मृत व्यक्ति के विरुद्ध गलत तरीके से निर्णय पारित किया है। जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश विरोधाभासी है एकतरफ तो यह कहा गया है कि निरीक्षण के समय गेहूँ व चीनी कम पाई गई वही दूसरी ओर यह भी पाया गया कि प्रार्थी की दुकान दूसरे डीलर



जिला कलेक्टर
टोंक

के साथ अटेच करने पर उसने गेहूँ व चीनी संभाली वह वह सामग्री पूर्ण संभलाई गई थी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस कथन किया कि मृतक सत्यनारायण को कभी भी केरोसीन आवटित नहीं किया गया, इस सम्बन्ध में समस्त तथ्य/रिकार्ड योग्य अधीनस्थ प्राधिकारी के समक्ष होते हुए भी 10713 लीटर केरोसीन के गबन माना है जो गलत है। अपीलान्ट का उक्त लासईसंस निरस्त करने से पूर्व युक्तियुक्त अवसर देना चाहिये था। जिसकी पालना जिला रासद अधिकारी द्वारा नहीं की गई। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जो जॉय रिपोर्ट तैयार की गई है वह स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर व पोस मशीन के इन्द्राज के आधार पर तैयार नहीं की गई है। जबकि अपीलान्ट के पास जितने भी उपभोक्ता आये हैं उन्हें सभी को पोस मशीन का उपयोग कर सामग्री का वितरण किया गया है उसके द्वारा किसी भी प्रकार का गबन नहीं किया गया है। अपीलान्ट ने उसके उपर लगाये गये सभी आरोपों का स्पष्टीकरण दिया गया है, इस कारण उक्त आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार कर उक्त आदेश निरस्त किया जाये एवं अपीलान्ट का अपना अधिवक्ता नियुक्त कर दिनांक 24-3-20212 को नकल प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 1-4-2021 को नकल प्राप्त की तथा जानकारी से 30 दिन के भीतर अपील पेश की नकल प्राप्त करने के कारण जो देरी हुई है उस देरी को कन्डोन करने का दफा-5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न किया है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 20-5-2020 को कार्यशील दिवस को निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान पर उचित मूल्य की दुकान लिखा हुआ नहीं पाया गया। मौके पर मूल्य एवं स्टॉक सूचना का बोर्ड पर स्टॉक व मूल्य सूचि प्रविष्टियों का इन्द्राज नहीं था। स्टॉक रजिस्टर का संधारण करना नहीं पाया गया। रासद सामग्री का भण्डारण प्राधिकार पत्र में स्वीकृत नक्शे से अन्यत्र भण्डारण करना तथा पोस मशीन स्टाक व भौतिक रूप से उपलब्ध गेहूँ का मिलान करने पर 341 कट्टे (प्रति कट्टा 50 किलोग्राम) कम पाये गये। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर उन्होंने बिना ओटीपी से गेहूँ निकालने व डीलर द्वारा उनको गेहूँ नहीं दिये जाने बाबत शिकायत की गई। अप्रार्थी डीलर की पोस मशीन पर अग्रिम माह जून 2020 के पेटे 6698 किलोग्राम गेहूँ पोस मशीन पर अपडेट नहीं हुआ तथा 341 कट्टे गेहूँ जिनका वजन 17050 किलोग्राम गेहूँ वक्त निरीक्षण नहीं मिला व 10713 लीटर केरोसीन 36.50 किलोग्राम चीनी का गबन करने के कारणों से डीलर को जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया जाकर उक्त सामग्री इटेच डीलस जीएसएस रामथला को सुपुर्द करवादी गई थी। डीलर को पत्र क्रमांक 512 दिनांक 21-5-2020 से अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अपीलान्ट द्वारा जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। नोटिस का जवाब असंतोषप्रद होने पर प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ने प्राधिकार पत्र कि शर्तों का उल्लंघन किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने पेरोकार की बहस के जवाब में कथन किया कि डीलर की दुकान पर स्टॉक रजिस्टर भर जाने के कारण कुछ पृविष्टियों इन्द्राज करने से शेष रह गई थी लोकडाउन के कारण रजिस्टर नहीं ला सका बाद में वितरण की गई सामग्री का इन्द्राज कर लिया गया था तथा बरसात के पानी के कारण व बच्चों द्वारा दुकान पर से नाम मिटा देने के कारण दुकान पर अंकित दुकान का नाम व मूल्य सूचि वगैरह स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी जिसे भी लिखवा दिया गया था। लोकडाउन के कारण होम डिलेवरी के आदेशों की पालना में गेहूँ उपभोक्ताओं के घरों में ही उतरवा दिया था इस कारण वक्त निरीक्षण गेहूँ कम पाये गये थे। नियमानुसार उपभोक्ताओं/शिकायतकार्ताओं



जिला कलेक्टर
टॉक

को सामग्री का वितरण किया जाकर उनके मंगला माली, मदनलाल माली, रामधन जाट, रामरतन कुम्हार आदि के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अतः अपील स्वीकार कर उक्त आदेश निरस्त किया जाये एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल की जावे।

हमने अभिभाषक अपीलाण्ट व परोकार सरकार की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य दुकान रामथला तहसील देवली दिनांक 2-5-2020 निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मौके पर मूल्य एवं स्टॉक सूचना का बोर्ड पर स्टॉक व मूल्य सूची प्रविष्टियों का इन्द्राज नहीं होना तथा स्टॉक रजिस्टर का संधारण करना नहीं पाया गया। रसद सामग्री का भण्डारण प्राधिकार पत्र में स्वीकृत नक्शे से अन्यत्र भण्डारण करना तथा पोस मशीन स्टॉक व भौतिक रूप से उपलब्ध गेहूँ का मिलान करने पर 341 कट्टे (प्रति कट्टा 50 किलोग्राम) कम पाये गये। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से पूछताड़ करने पर उन्होंने बिना ओटीपी से गेहूँ निकालने व डीलर द्वारा उनको गेहूँ नहीं दिये जाने बाबत शिकायत की गई। अप्रार्थी डीलर की पोस मशीन पर अग्रिम माह जून 2020 के पेटे 6698 किलोग्राम गेहूँ पोस मशीन पर अपडेट नहीं हुआ तथा 341 कट्टे गेहूँ जिनका वजन 17050 किलोग्राम गेहूँ वक्त निरीक्षण नहीं मिला व 10713 लीटर केरोसीन 36.50 किलोग्राम चीनी का गबन करने के कारणों से डीलर को जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया जाकर उक्त सामग्री इटेच डीलस जीएसएस रामथला को सुपुर्द करवादी गई थी। अपीलान्ट को नोटिस जारी किये जाने पर उनके द्वारा जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि दुकान पर स्टॉक रजिस्टर भर जाने के कारण कुछ पृविष्टियाँ इन्द्राज करने से शेष रह गई थी लोकडाउन के कारण रजिस्टर नहीं ला सका बाद में वितरण की गई सामग्री का इन्द्राज कर लिया गया था तथा बरसात के पानी के कारण व बच्चों द्वारा नाम मिटा देने के कारण दुकान पर अंकित दुकान का नाम व मूल्य सूची वगैरह स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी जिसे भी लिखवा दिया गया था। उपभोक्ताओं/शिकायतकार्ताओं को सामग्री का वितरण किया जाकर उनके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। लोकडाउन के कारण होम डिलेवरी के आदेशों की पालना में गेहूँ उपभोक्ताओं के घरों में ही उतरवा दिया था इस कारण वक्त निरीक्षण गेहूँ कम पाये गये किन्तु अटेच डीलर को चार्ज दिलवाते समय सामग्री रिकार्ड अनुसार संभला दी गई थी। जिन पभोक्ताओं/शिकायतकार्ताओं को सामग्री का वितरण नहीं करना बताया है उनके द्वारा सामग्री प्राप्त करने तथा शिकायत वापस लेने के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। दिनांक 17-2-2021 को जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा निर्णय पारित कर किया गया है, उस दिनांक से पूर्व ही डीलर श्री सत्यनारायण मीना की मृत्यु दिनांक 11-10-2020 को हो चुकी थी। अतः जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-2-2021 में हस्तक्षेप किया जाना उचित समझते हैं।

फलतः प्रकरण जिला रसद अधिकारी टोंक इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि समस्त रिकार्ड व दस्तावेजात की जांच कर तथा पक्षकारान को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान कर न्याहित में पुनः विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 20-10-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर टोंक
टोंक